

FORM -II

(for projects other than linear projects)

Government of M.P. Court of the District Collector Satna

Office of the District Collector Satna (M.P.) जल संख्या 6482

Cs. No...../B121/2016-17

Date...12/3/18

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialed and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 4.600 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Sharad Kumar Bansal P.O. Jaitwara District-Satna (M.P.)** (name of user agency) for **Renewal of ML for mining of Ochre, White Clay & Laterite** (purpose for diversion of forest land) in **Satna District** falls within jurisdiction of **Pipritola village(s) in Birsinghpur Tehsils.**

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA the has been carried out for the entire 4.600 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s) Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 3 annexure.
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its complications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and the details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Pipritola Villages(s)** is enclosed as annexure 1 to 3 annexure.
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The rights of primitive Tribal Groups and pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.:As above

(Mukesh/Shukl)
Collector
District Satna (M.P.)



कार्यालय ग्राम सभा पिपरीटोला, जनपद पंचायत, सतना

जिला...सतना...मध्यप्रदेश

-ग्राम सभा का सहमति पत्र-

प्रमाणित किया जाता है कि -

1. श्री. प्रसन्न कुमार बंशल (आवेदक). जैतवारा की...पिपरीटोला... (परियोजना का नाम).
आकाश...में... (कार्य का नाम) का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम. पिपरीटोला के अक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड...
दुर्गिहारा के कक्ष क्रमांक 878.9...में/संरक्षित वन क्षेत्र के खसरा क्रमांक...11.1...में है !
उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है !
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है ! प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 21.11.20 को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे !
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि, व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है !
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है ! अतः ग्राम सभा एवम् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है !

संलग्न:- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण छायाप्रति !

दिनांक 2-11-10

दीर्घा

सुन्यालाल

सचिव
ग्राम पंचायत पिपरीटोला, सतना जिला, मध्यप्रदेश
हस्ताक्षर नाम प्रसन्न कुमार बंशल

टीप:- प्रस्ताव पर यदि ग्राम सभा सहमत हो तो तभी यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाये ! यदि ग्राम सभा सहमत नहीं है तो प्रमाण-पत्र जारी न किया जावे !

कार्यालय ग्राम सभा पिपरीटोला जनपद पंचायत मझगवॉ

जिला - सतना (मध्यप्रदेश)

ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि-

1. श्री शरद कुमार बंसल (आवेदक) निवासी ग्राम-जैतवारा की ग्राम- पिपरीटोला 4.8 हे० (परियोजना का नाम) ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट का उत्खनन (कार्य का नाम) किया जाना प्रस्तावित है, ग्राम पिपरीटोला के संरक्षित वन क्षेत्र के वनखण्ड छनिहरा के कक्ष क्र० 870 पी में वन क्षेत्र के खसरा क्रमांक 11 पी में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 21.10.2010 को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि, व्यपवर्तन के लिए आवेदित वनभूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/ प्रतिक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समक्ष लिया गया है।
4. वनभूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः जिला स्तरीय समिति एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न:- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण छायाप्रति

दिनांक - 20/7/12

महेश्वर सिंह
20/7/12

PA
सचिव
ग्राम वन समिति
वन परिक्षेत्र-मझगवॉ

सुन्ना बोल
सचिव

पिपरीटोला

वन अधिकार समिति छनिहरा या प गझवा
प.प. मझगवॉ जिला-सतना (म.प्र.)

टीप:- प्रस्ताव पर यदि ग्राम सभा सहमत हो तो तभी यह प्रमाण-पत्र जारी किया जायें।
यदि ग्राम सभा सहमत नहीं हैं तो प्रमाण-पत्र जारी न किया जावें।

2/3

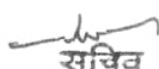
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०), अनुभाग-मझगवॉ, जिला-सतना (म०प्र०)

श.प्र.क. ०५ अ ६३/ २०१५१६
उपखण्ड स्तरीय समिति का सहमति-पात्र

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. श्री शरद कुमार बंसल (आवेदक का नाम), निवासी ग्राम-जैतवारा, तह०-बिरसिंहपुर, जिला-सतना (म०प्र०) की ग्राम-पिपरीटोला तह०-बिरसिंहपुर, जिला-सतना के 4.600 हे० (परियोजना का नाम) ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट का उत्खनन (कार्य का नाम) किया जाना प्रस्तावित है, ग्राम-पिपरीटोला आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वनखण्ड छनिहरा के कक्ष क०-870 पी. में राजस्व खसरा क०-11 पी. में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 21.10.2010 को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिषत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. उपखण्ड स्तरीय समिति प्रमाणित करता है कि व्यपवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रतिक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समक्ष लिया गया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः उपखण्ड स्तरीय समिति एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

सहपत्र- ग्राम सभा प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न है।


सचिव
उपखंड स्तरीय
वन अधिकार समिति
उपखंड...
जिला सतना (म०प्र०)


उपखंड स्तरीय समिति
जिला सतना


13/10/16

जिला स्तरीय समिति का सहमति पत्र



- 1- श्री शरद कुमार बंसल (आवेदक का नाम) निवासी ग्राम जैतवारा तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0 की ग्राम पिपरीटोला तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना के 4.600 हे0 (परियोजना का नाम) ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट का उत्खनन (कार्य का नाम) किया जाना प्रस्तावित है, ग्राम पिपरीटोला आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वनखण्ड छनिहरा के कक्ष क्रमांक 870 पी में राजस्व खसरा क्रमांक 11 पी में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
- 2- वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 21.10.2010 को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
- 3- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मझगवां के पत्र क्रमांक 04/अ67/2015-16 दिनांक 17.06.2016 (उपखंड स्तरीय समिति) प्रमाणित करता है कि व्यपवर्तन के लिये आवेदित वनभूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रतिक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समक्ष लिया गया है।
- 4- वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः जिला स्तरीय समिति एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

वन संरक्षक
एवं पदेन वनमण्डल अधिकारी
जिला सतना म0प्र0

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
जिला सतना म0प्र0
वन अधिकारी समिति
जिला सतना (म0प्र0)

कलेक्टर जिला सतना
जिला सतना म0प्र0
वन अधिकारी समिति
जिला सतना (म0प्र0)

